न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 79 / 2021(जी.सी.एम.एस. 2021 / 146)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सतविन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. जगरूप सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 9 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. सोनपाल कौर पत्नी हरप्रीत सिंह पुत्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 03.09.2021

उपस्थित: 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

––निर्णय––

दिनांक : 14.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.416 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 29/22 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 0.123 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.998 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 2.876 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह से 3.570 हैक्टेयर भूमि विरास्तन प्राप्त हुई थी। जिसमें से चक 6 डब्ल्यू की 0.694 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया जा चुका है। उक्त 3.570 हैक्टेयर भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है और संयुक्त हिन्दू परिवार की कोर्पासनरी भूमि है। जिसमें वादी का जन्म सिंह ही 1/3 हिस्सा यानि 1.190 हैक्टेयर भूमि बनती है। वादी अपने खातेदारी हिस्सा की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। आज से 2 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के पास जाकर निवेदन किया कि उक्त भूमि में से मेरे हिस्सा की भूमि मुझे दे देवें एंव उक्त भूमि को खूर्द बुर्द ना करे, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.416 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 29/22 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 0.123 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.998 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 2.876 हैक्टेयर भूमि में से वादी को 1.190 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1.190 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 0.496 हैक्टेयर भूमि का खातेदार मालिक घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के द्वारा बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया, जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 6 डब्ल्यू के खाता संख्या 27 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.416 हैक्टेयर, खाता संख्या 29 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 0.123 हैक्टेयर व चक 8 डब्ल्यू के खाता संख्या 59 में 0.337 हैक्टेयर कुल 3.570 हैक्टेयर भूमि विरासतन प्राप्त हुई है, जो भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कॉपार्सनर सम्पत्ति है, जिसमें मुझ प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सहमति का होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 की प्रति, प्रदर्श-2 राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 29/22 की प्रति, प्रदर्श-3 राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 की प्रति, प्रदर्श-4, प्रदर्श-5 चक 6 डब्ल्यू के इन्तकाल संख्या 299 दिनांक 27.09.2012 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-6 चक 8 डब्ल्यू के इन्तकाल संख्या 470 दिनांक 05.11.2019 की छायाप्रति, स्वंय वादी सतविन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 2 अधिवक्ता के द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह प्रतिवादी बन्द की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2, शपथ पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 की प्रति, राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 29/22 की प्रति, राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 की प्रति, चक 6 डब्ल्यू के इन्तकाल संख्या 299 दिनांक 27.09.2012 की प्रमाणित प्रति, चक 8 डब्ल्यू के इन्तकाल संख्या 470 दिनांक 05.11.2019 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.416 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 29/22 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 0.123 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.998 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 2.876 हैक्टेयर भूमि में से वादी को 1.190 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 2 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

1.190 हैक्टेयर भूमि का, प्रतिवादी संख्या 1 को 0.496 हैक्टेयर भूमि का खातेदार मालिक घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। अतः वाद पत्र वादी, काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वादी के शपथ पत्र, के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.416 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 29/22 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 0.123 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढ़संगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.998 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम दर्ज 2.876 हैक्टेयर भूमि में से वादी सतविन्द्र सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सोनपाल कौर प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
सतविन्द्र सिंह बनाम जगरूप सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नम्बर 79/2021
निर्णय दिनांक :- 14.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनजीत सिंह कचूरा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 डब्ल्यू, पटवार हल्का दलपतसिंहपुर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 27/20 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 2.416 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 29/22 के मुरब्बा नम्बर 32 की कुल 0.123 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 8 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 59/27 के मुरब्बा नम्बर 33, 43 की कुल 1.998 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम 0.337 हैक्टेयर भूमि, उक्त तीनों खातो में प्रतिवादी संख्या 1 जगरूप सिंह के नाम दर्ज 2.876 हैक्टेयर भूमि में से वादी सतविन्द्र सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सोनपाल कौर प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांकः 14.06.2024

क्रमांकः रीडर/2024/290

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर